

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

सं.सं.-03/वि0-18-37/2014

383

पटना, दिनांक-

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को लागू किए जाने तथा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की समन्वय हेतु विभाग की ओर से डॉ० निखिल रंजन, M&OE, BGCMS (मो०-8298870074, e-mail:- nikhilspmgbihar@gmail.com) को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(संजय दयाल)
विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/वि0-18-37/2014

दिनांक-

प्रतिलिपि:-सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/डॉ० निखिल रंजन, M&OE, BGCMS को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/वि0-18-37/2014

2339

दिनांक- 16/10/17

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र पटना/अपर सचिव-सह-वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग को उनके पत्रांक-759 दिनांक-18.09.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
13/10/17
विशेष सचिव।